न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 07/2021
दायर दिनांकः 15.02.2021
निर्णय दिनांक 10.12.2024

—: अनवान :—

देउबाई पुत्री लालाजी पत्नी मोहनलालजी, जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी जिलोला, तहसील आमेट जिला राजसमन्द हाल निवासी बीकावास तहसील आमेट जिला राजसमन्द

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, आमेट
2. रोशन पिता नाथू रेगर
3. भेरूलाल पिता नाथू रेगर
4. कमला पिता नाथू रेगर
5. प्यारीबाई पत्नी नाथू रेगर
6. लक्ष्मण पिता रोड़ा रेगर.
7. मोहन पिता गोमा रेगर
8. गिरधारी पिता गोमा रेगर
9. मोती पिता गोमा रेगर
10. चुन्नी बेवा गोमा रेगर (मृतक डीलीट)
11. कन्हैयालाल मुतबन्ना बालु रेगर
12. चोखा पिता रूपा रेगर
13. राजू पिता केसु रेगर

सभी निवासी जिलोला, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्टगण

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार, आमेट प्रकरण संख्या 4 सन् 2013 नाथू बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 से व्यथित होकर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम

न्यायालय जिला कलक्टर

उपस्थितः–

1– श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट

2– श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01

3– श्री मुकेश देवपुरा 02,03,06,07,08,11,12, व 13

3– रेस्पोडेन्ट संख्या 04,05,09, अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जिलोला, पटवार क्षेत्र जिलोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में आराजीयात खाता संख्या 186 में आराजी संख्या क्रमशः 2402, 2406, 2407, 2408, 2416, 2417, 2418, 2419, 2430, 2431, 2432, 2434, 2435, 2437, 2439, 2440 व 2441 रकबा क्रमशः 0.2100, 0.3900, 0.2300, 0.7100, 0.1900, 0.1800, 0.0300, 0.2600, 0.0100, 0.3100, 0.2300, 0.0500, 0.1300, 0.2600, 0.1500, 0.2800 व 0.0500 कुल किता 17 कुल रकबा 3.6700 हेक्टेयर कृषि भूमियां स्थित है राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि में नाथू पिता वेणा का 1/5, लक्ष्मण पिता रोड़ा का 18280/36700, मोहन पिता गिरधारी, मोती पिता गोमा, चुन्नी बेवा गोमा का 1/15, कन्हैयालाल मु. बालु का 1/15, चौखा पिता रूपा का 1/15, राजू पिता केसु का 1070/36700, देउबाई पिता लाला का 1/10 हिस्सा निहित रहा है। उक्त भूमि अपीलार्थी को अपने पिता के स्वर्गवास दिनांक 10.08.2017 के उपरान्त लाला पिता हकमा की एकमात्र वारिस होने से जरिये विरासत उक्त सम्पत्ति प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरण संख्या 901 दिनांक 05.07.2012 ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है और उक्त भूमि में 1/10 हिस्सा अपीलार्थी के नाम पर निहित हुआ है। वर्ष 2013 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट द्वारा बुलाकर उक्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी विभाजन करने के लिए कहा था जिस पर अपीलार्थी भी रेस्पोडेन्ट जो कि अपीलार्थी के आपसी रिश्तेदार भाईबंध है, उनके कहने पर पटवारी हल्का जिलोला के पास चलकर अपनी शामलाती भूमि का विभाजन कराना है क्योंकि उक्त भूमि के सहखातेदार द्वारा अपने मनमकसूद तरीके से बिना विभाजन कराये भूमि को विक्रय की जा रही है जिससे विवाद बढ़ रहे हैं। इस पर अपीलार्थी भी अपने हिस्से को पृथक कराने के लिये पटवारी हल्का के पास गई थी। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट से आपसी मिलीभगत कर उनसे नाजायज लाभ प्राप्त कर उक्त भूमि का अपने मनमकसूद तरीके से राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन न कर अपने मनमकसूद तरीके से भूमि का विभाजन करना बताया है तथा अपीलार्थी को यह विश्वास दिलाया कि उक्त भूमि में तुम्हारा निहित 1/10 हिस्सा अर्थात 3.6700 हेक्टेयर में से 1/10वां हिस्सा 0.3670 हेक्टेयर भूमि अलग से राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दी जायेगी तथा राजस्व नक्शे में भी इसको पृथक किया जायेगा। इस विश्वास के आधार पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का के पास छपे हुए प्रफोर्मा पर अपने दस्तखत पटवारी हल्का के विश्वास व रेस्पोडेन्ट के विश्वास पर कर दिये थे

न्यायालय जिला कलक्टर

लेकिन उक्त भूमि माफिक राजस्व रेकर्ड अपीलार्थी के नाम पर दर्ज ही नहीं की। अपीलार्थी का उक्त भूमि में 0.3670 हेक्टेयर का हिस्सा बनता है लेकिन उक्त भूमि में अपीलार्थी का मात्र 0.0300 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है। उक्त किया गया विभाजन न केवल अवैध व विधि विरुद्ध है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये विभाजन के नियमों के विपरीत किया गया है जिसकी कोई मुमानियत नहीं है। इसी आधार पर विभाजन का आदेश दिनांक 08.02.2013 अपास्त होने योग्य है। उक्त विभाजन आदेश के अनुसरण में नामान्तरण संख्या 972 दिनांक 15.02.2013 को पटवारी हल्का जिलोला द्वारा भरकर स्वीकृत करवाया गया है, जो उक्त विभाजन आदेश के अनुसरण में स्वीकृत किया गया है जिसकी कानूनन कोई मुमानियत नहीं है। अपीलार्थी एवं रेस्पोण्डेंट्स का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार है

वेणा रोडा रूपा हकमा रामा

नाथू गुमानी लक्ष्मण मांगी गोमा बालू चोखा लाला (लाऔलाद) केसु

रोशन भेरू कमला प्यारी मोहन गिरधारी मोती कन्हैयालाल देउ राजू सुगना मंजू रेखा, मीना

उक्त आराजियात कृषि भुमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट्स की संयुक्त होकर उक्त भूमि के संबंध में सभी का संयुक्त रूप से हक अधिकार है व हित निहित रहा है लेकिन उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार विभाजन न कर मनमकसूद तरीके से राजस्व अधिकारियों ने रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर यह विभाजन विलेख धोखे व मुगालते से तैयार किया गया है तथा उसके आधार पर उक्त भूमि गलत रूप से अन्य सहखातेदार के नाम पर दर्ज कर दी गई है जो विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मामले में अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है। सहमति विभाजन में निहित हिस्से से कम भूमि प्रदत्त नहीं की जा सकती है और प्रकरण में 0.3600 हेक्टेयर भूमि के स्थान पर मात्र 0.0300 हेक्टेयर भूमि ही प्रदान की गई है। उपरोक्त परिस्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को मियाद में मानते हुए निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2013 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, तथा 02,03,06,07,08,11,12, व 13 की ओर से श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित एवं रेस्पोडेन्टगण 4, 5, 9 अनुपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2013 में खाता सं0 186 के सभी सह खातदारों ने अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपसी सहमती का विभाजन प्रस्ताव पेश किया था। सह खातेदारों की सहमती के आधार पर विभाजन पत्र स्वीकार कर रेकोर्ड में अमलरामद किया गया। सहमती विभाजन पत्र में अपीलार्थी देऊबाई एवं राजूलाल पि0 केसु ने अपने नाम खसरा सं0 2408 में से 0.0800 है0 एवं खसरा सं0 2439 में से 0.0300 है0 कुल 0.1100 है0 भूमि अपने खाते में रखने की सहमती दी गई थी। जिसके आधार पर विभाजन पत्र स्वीकार किया गया। विभाजन आदेश की पालना ने नामा0 स्वीकृत किया गया हैं जो कानून वैद्य है। सह खातेदारो द्वारा आपसी सहमती से विभाजन पत्र तैयार कर पेश किया गया था एवं उनकी सहमती के आधार पर ही विभाजन पत्र स्वीकार किया गया जो नियामानुसार सही है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02,03,06,07,08,11,12, व 13 ने जवाब पेश न कर सिधे बहस हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम जिलोला, पटवार क्षेत्र जिलोला, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द में खाता संख्या 186 के कुल किता 17, कुल रकबा 3.6700 हेक्टेयर कृषि भूमियां का राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि में नाथू पिता वेणा का 1/5, लक्ष्मण पिता रोड़ा का 18280/36700, मोहन पिता गिरधारी, मोती पिता गोमा, चुन्नी बेवा गोमा का 1/15, कन्हैयालाल मु. बालु का 1/15, चौखा पिता रूपा का 1/15, राजू पिता केसु का 1070/36700, देउबाई पिता लाला का 1/10 हिस्सा निहित रहा है। उक्त भूमि अपीलार्थी को अपने पिता के स्वर्गवास दिनांक 10.08.2017 के उपरान्त लाला पिता हकमा की एकमात्र वारिस होने से जरिये विरासत उक्त सम्पत्ति प्राप्त हुई है जिसका नामान्तरण संख्या 901 दिनांक 05.07.2012 ग्राम पंचायत जिलोला द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत किया गया है और उक्त भूमि में 1/10 हिस्सा अपीलार्थी के नाम पर निहित हुआ है। वर्ष 2013 में प्रशासन गांवों के संग अभियान में अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट द्वारा बुलाकर उक्त भूमि का हिस्से अनुसार आपसी विभाजन करने के लिए कहा था जिस पर अपीलार्थी भी रेस्पोडेन्ट जो कि अपीलार्थी के आपसी रिश्तेदार भाईबंध है, उनके कहने पर पटवारी हल्का जिलोला के पास चलकर अपनी शामलाती भूमि का विभाजन कराना है क्योंकि उक्त भूमि के सहखातेदार द्वारा अपने मनमकसूद तरीके से बिना विभाजन कराये भूमि को विक्रय की जा रही है जिससे विवाद बढ़ रहे हैं। इस पर अपीलार्थी भी अपने हिस्से को पृथक कराने के लिये पटवारी हल्का के पास गई थी। पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट से आपसी मिलीभगत कर उनसे नाजायज लाभ प्राप्त कर उक्त भूमि का अपने मनमकसूद तरीके से भूमि का विभाजन करवा दिया तथा अपीलार्थी को यह विश्वास दिलाया कि उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर

भूमि में तुम्हारा निहित 1/10 हिस्सा अर्थात 3.6700 हेक्टेयर में से 1/10वां हिस्सा 0. 3670 हेक्टेयर भूमि अलग से राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दी जायेगी तथा राजस्व नक्शे में भी इसको पृथक किया जायेगा। इस विश्वास के आधार पर अपीलार्थी ने पटवारी हल्का के पास छपे हुए प्रफोर्मा पर अपने दस्तखत पटवारी हल्का के विश्वास व रेस्पोडेन्ट के विश्वास पर कर दिये थे लेकिन उक्त भूमि माफिक राजस्व रेकर्ड अपीलार्थी के नाम पर दर्ज ही नहीं की। अपीलार्थी का उक्त भूमि में 0.3670 हेक्टेयर का हिस्सा बनता है लेकिन उक्त भूमि में अपीलार्थी का मात्र 0.0300 हेक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है। उक्त किया गया विभाजन न केवल अवैध व विधि विरुद्ध है बल्कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये विभाजन के नियमों के भी विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02,03,06,07,08,11,12, व 13 ने बहस में निवेदन किया कि उक्त मामले में अपीलान्ट देउ बाई ने सर्वथा मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है. जबकि न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा प्रकरण संख्या 4. सन् 2013 नाथु बनाम सरकार में जो आदेश दिनांक 08.02.2013 को पारित किया गया, वह आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान में पारित होकर पक्षकारों की सहमति से न्यायालय ने पारित किया है। कानूनन उसकी कोई अपील नहीं होती है। धारा 96 (3) सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है, उसकी कोई अपील नही होगी। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील कानुनन चलने योग्य नहीं है एवं न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध किसी भी स्थिति में अपील ही नही हो सकती है। उक्त मामले में पटवारी हल्का जिलोला ने जो विभाजन योजना तैयार की उस समय सभी खातेदारान् मौके पर उपस्थित थे और उन्होने अपनी सहमति वर्णित की है। सहमति के आधार पर वर्ष 2013 में वादग्रस्त कृषि भूमियों को विभाजन हो चुका है एवं पिछले 12 वर्षों से पक्षकार अपने विभाजन में आये हिस्से पर लाखों रूपये व्यय कर अपने हिस्से की जमीन के चारों ओर बाउण्ड्री वॉल बना दी है व कुआं भी खुदवा दिया है। ऐसी स्थिति में सहमति से पारित विभाजन को निरस्त किया जाता है उक्त सहमति से हुए विभाजन की जानकारी प्रार्थीया को विभाजन के दिनांक से ही थी। उक्त विभाजन में किसी प्रकार की धोखाधडी एवं कुटरचना नही की गई है। प्रार्थीया की सहमति विधिवत् रूप से रिकॉर्ड पर है। प्रार्थीया ने पूर्व में दी गई सहमति से मुकर नही सकती। और विभाजन हुए 12 वर्ष हो चुके है। अन्य पक्षकारों के किसी प्रकार का विवाद विद्यमान नहीं है व विभाजन के पश्चात् कुछ खातेदार ने अपनी भूमि जो उनके कब्जे मे थी, विक्रय भी कर दी है तथा अपीलान्ट का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा भी नहीं है। अपीलान्ट ने अपने कब्जे की भूमि राजु पिता केशु जी रेगर रेस्पोंडेन्ट संख्या 13 को सिपूर्द कर रखी है। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि राजस्व ग्राम जिलोला में अवस्थित वादग्रस्त कृषि भूमियो के संबंध में सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमती से विभाजन पत्र तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं तदनुसार आपसी सहमती के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रमाणित विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु आदेश जारी किये गये। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 (3) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि **" पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है, उसकी कोई अपील नही होगी।"** विचाराधीन प्रकरण में पक्षकारो की आपसी सहमती के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किये गये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, आमेट के द्वारा दिनांक 08.02.2013 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद